राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा, (राज0)

क्रमांक/रीडर /2025/3062 दिनांक : 20/11/2025

प्रेषिति :

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :– अपील नामा0 प्र0 सं0 03/2024 में पारित निर्णय की सूचना/आवश्यक कार्यवाही पालना बाबत्।

अनवान

राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार माण्डलगढ/बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
..... अपीलार्थी

बनाम

(1) भवरसिह पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
(2) जोरावरसिह पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
(3) हिम्मतसिह पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा बाह
(4) शिवसिह पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
(5) प्रेम कंवर पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
(6) किसनकंवर बेवा लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा **विलोपित (06.03.2025)**
(7) मन्नी पत्नि काना जाति भील उम्र बालिग निवासी भटखेडी हाल पटियाल
(8) ग्राम पंचायत मालकाखेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मालकाखेडा

रेस्पाडेण्टगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रकरण में दिनांक 13.11.2025 को निर्णय पारित कर खारिज किया गया।

अतः आपको खारिज अपील के प्रति पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही हैं।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा, (राज0)
पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

अपील नामा0 प्र0 सं0 01/2013 (माण्डलगढ)
अपील नामा0 प्र0 सं0 03/2024 (बिजौलियां)

दायर तारीख 24.04.2013(माण्डलगढ़)
दायर तारीख 26.06.2024(बिजौलियां)

अनवान्

राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार माण्डलगढ/बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... अपीलार्थी

बनाम

(1) भवरसिह पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
(2) जोरावरसिह पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
(3) हिम्मतसिह पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा बाह
(4) शिवसिह पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
(5) प्रेम कंवर पिता लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
(6) किसनकंवर बेवा लालसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी भटखेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा **विलोपित (06.03.2025)**
(7) मन्नी पत्नि काना जाति भील उम्र बालिग निवासी भटखेडी हाल पटियाल
(8) ग्राम पंचायत मालकाखेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मालकाखेडा

रेस्पाडेण्टगण

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू० रा० अधिनियम विरूद्व निर्णय नामान्तकरण संख्या 10, 11, 12 दिनांक 07–03–67 ग्राम पंचायत मालकाखेडा

–: आदेश :–

दिनांक 13/11/2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम भटखेडी प०ह० मालकाखेडा तहसील माण्डलगढ की शरहद में सम्वत 2023 के राजस्व रेकार्ड में नन्दा पिता गोपी भील की खातेदारी में खाता सख्या 7 पर आ0न0 37 रकबा 2 बीधा 12 बिस्वा एवम खाता सख्या 22 पर आ0न0 38 रकबा 3 बिस्वा आ0न0 39 रकबा 3 बीधा आ०न0 40 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आ०न0 41 रकबा 1 बीधा 1 बिस्वा, आ0न0 42 रकबा 2 बीधा 19 बिस्वा एवम आ0न0 45 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा किता 8 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। ग्राम भटखेडी में दर्ज खसरा सख्या 37 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जो कि नन्दा पिता गोपी भील के नाम पर दर्ज थी जिसे ग्राम पंचायत मालकाखेडा द्वारा जरिये नामान्तकरण सख्या 10 निर्णय दिनांक 7–3–1967 को श्री नन्दा पिता गोपी भील निवासी भटखेडी के बजाय लालसिह पिता विजयसिह राजपूत के नाम विधी विरूद्ध तरिक्के से नामान्तरित कर दी गयी तथा ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में 82 रूपये के स्टाम्प को सही लिखा हुआ माना जाकर उपरोक्त नामान्तकरण फेसल किया। जो कि नियम विरूद्ध है। उक्त नामान्तकरण मे भूमि विक्रय किये जाने का

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कोई उल्लेख नही है तथा उपरोक्त स्टाम्प रजिस्टर्ड था या अनरजिस्टर्ड उसका भी कोई उल्लेख नही है। नन्दा भील अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति था एवम लालसिह स्वर्ण जाति का व्यक्ति था उसकी भूमि कानूनन लालसिह के नाम पर दर्ज नही की जा सकती थी ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तकरण सख्या 10 निर्णित कर धारा 42 रा०टि०एक्ट के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघन किया है। उक्त नामान्तकरण सख्या 10 निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत मालकाखेडा द्वारा नामान्तकरण सख्या 11 दिनांक 7–3–1967 को निर्णित किया गया इसके द्वारा नन्दा पिता गोपी भील निवासी भटखेडी की खातेदारी की आ०न० 40, 41, 42, किता 3 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा को श्री लालसिह पिता विजयसिह राजपूत के नाम विधी विरुद्ध तरिक्के से नामान्तरित कर दी गयी। ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में 75 रूपये के स्टाम्प को लिखा हुआ एवम आधार माना जाकर नामान्तकरण फेसल किया गया। जो कि नियम विरूद्ध है। क्योकि नामान्तकरण में एवम पंचायत ने अपने निर्णय मे उक्त स्टाम्प रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड इसका कोई उल्लेख नही किया गया भूमि विक्रय किये जाने का भी कोई उल्लेख नही है। खातेदार नन्दा भील अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति था। उसकी भूमि स्वर्ण जाति के लालसिह पिता विजयसिह राजपूत के नाम हस्तान्तरित कानूनन नही की जा सकती थी। ग्राम पंचायत ने धारा 42 रा०टि०एक्ट के प्रावधानो का उल्लघन कर यह नामान्तकरण तस्दीक किया है जो कि प्रारम्भतः शून्य है एवम नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। नन्दा पिता गोपी भील के नाम दर्ज आ०न० 38 आ०न० 39, आ०न० 45 किता 3 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा भूमि को ग्राम पंचायत मालकाखेडा द्वारा नामान्तकरण सख्या 12 निर्णय दिनांक 7–3–1967 निर्णित किया जाकर नन्दा पिता गोपी भील के बजाय लालसिह पिता विजयसिह राजपूत के नाम विधि विरूद्ध तरिक्के से नामान्तरित कर दी गयी इस नामान्तकरण मे ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में 98 रूपये के स्टाम्प को लिखा जाना आधार बताते हुये भूमि का नामान्तकरण फेसल किया। तथा इसमे में उक्त स्टाम्प रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड कोई उल्लेख नही किया तथा भूमि के विक्रय किये जाने का भी कोई उल्लेख नही किया। नन्दा भील अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति होकर स्वर्ण जाति के लालसिह राजपूत के नाम उसकी भूमि नामान्तकरण किये जाने या हस्तान्तरित किये जाने का नामान्तकरण तस्दीक करने का ग्राम पंचायत को कानूनी कोई अधिकार नही था। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारो से परे जाकर धारा 42 रा०टि० एक्ट के प्रावधानो का उल्लघन कर यह नामान्तकरण निर्णित किया है जो कि विधी विरूद्ध होकर प्रारम्भतः शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम के व राजस्व कर्मचारियों ने बेइमानीपूर्वक षड़यंत्र रचकर नाजायज फायदा पहुंचाने हेतु उक्त काम किया हैं। उपरोक्त नामान्तकरण सेटलमेण्ट प्रक्रिया से पूर्व दर्ज किये गये है इसके बाद सेटल आपरेशन प्रारम्भ हो जाने से इसके नवीन खसरा नम्बर बने है।

पुराने ख.नं.	रकबा	नवीन ख.नं.	रकबा	पुराने ख.नं. की तुलना	नेट रकबा जो दर्ज होना चाहिये
37	2.12	90	3.12	0.02	3.10
38	0.03	89	0.04	00	0.04
39	3.00	88	4.18	0.18	4.00
40	1.01	139	1.17	0.09	1.08
41	1.09	86	7.07	0.13	6.14
42	2.19	86	7.07	0.13	6.14
45	1.03	87	0.04	00	0.04
योग 7	12.00	6	18.02	2.02	16.00

इस प्रकार सेटलमेण्ट के बाद उपरोक्त गत बन्दोबस्ती आराजियात लालसिह पिता विजयसिह राजपूत के नाम अंकित की गयी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 86 रकबा 7 बीधा 7 बिस्वा आ०न० 87 रकबा 4 बिस्वा आ०न० 88 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा आ०न० 89 रकबा 4 बिस्वा आ०न० 90 रकबा 3 बीधा 12 बिस्वा एवम आ०न० 139 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 18 बीधा 2 बिस्वा है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तथा वर्तमान में उपरोक्त कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के अनुसार खाता सख्या 57 पर रेस्पोडेण्ट सख्या 1 से 6 के नाम पर दर्ज रेकार्ड होकर चली आ रही है जिसमें प्रत्यर्थी सख्या 3 द्वारा अपना हिस्सा जी.एस.एस. मालकाखेडा में रहन रख रखा है जो रेकार्ड मे दर्ज है। उपरोक्त पत्यर्थीगण के नाम उक्त कृषि भूमि लालसिंह पिता विजयसिह राजपूत की मृत्यु हो जाने के पश्चात विरासत से दर्ज की गयी हैं। परन्तु प्रत्यर्थीगण उक्त कृषि भूमि के दृष्यमान खातेदार हैं क्योंकि उक्त भूमि उनके पूर्वज लालसिंह के नाम विधि विरूद्ध तरिक्के से धारा 42 का उल्लघन कर ग्राम पंचायत मालकाखेडा द्वारा दर्ज की गयी। प्रत्यर्थीगण की खातेदारी निरस्त की जाकर पुनः पूर्ववत स्थिति बहाल किया जाना न्याय संगत है। खातेदार नन्दा पिता गोपी भील की भी वर्तमान मे मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी ओर से मुन्नी पत्नि काना भील निवासी भटखेडी हाल निवासी पटियाल तहसील माण्डलगढ होकर नन्दा भील की वारिस है। उपरोक्त तीनो नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के तथा बिना कोई जॉच किये स्वीकृत किये गये है। जिसमें किसी प्रकार के विक्रयपत्र का वर्णन नही है तथा रिपोर्ट पटवारी मे कब्जा प्रत्यर्थीगणो का मानते हुये दर्ज किया गया है। बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज के नामान्तकरण के फेसल किया गया है तथा धारा 42 रा०टि०एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त तीनो नामान्तकरण संख्या 10,11,12, ग्राम पंचायत द्वारा विधी विरूद्ध तरिक्के से अपने अधिकारो से परे जाकर निर्णित किये गये है। अपील अपिलार्थी स्वीकार की जाकर तीनो नामान्तकरण को निरस्त किया जाना न्याय संगत है। ग्राम पंचायत माल का खेडा के तत्कालीन कर्मचारियो एवम राजस्व कर्मचारियो द्वारा मिली भगती कर बेईमानी पूर्वक अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से षडयन्त्र रचकर उपरोक्त तीनो नामान्तकरण दर्ज किये गये एवम यह कार्य इस तरह से किया गया कि बाद में कभी भी उपरोक्त अवैध नामान्तकरण दर्ज होने का किसी को पता नही चल सके व हमेशा यह जमीन विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रहे। इस कारण अपीलार्थी ने किसी अन्य व्यक्ति को उपरोक्त अवैध नामान्तकरण दर्ज किये जाने की जानकारी नही हो सकी ओर वक्त नामान्तकरण अपील पेश नही की जा सकी। अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना न्याय संगत है ओर ग्राम पंचायत माल का खेडा द्वारा निर्णित उपरोक्त तीनो नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तीनो नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की जानकारी अपीलार्थी जो कि भूमिधारी राज्य सरकार का प्रतिनिधी है को मुन्नी पत्नि काना भील के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाडा के समक्ष दिनांक 11–02–2013 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने तथा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलार्थी को जॉच अधिकारी नियुक्त करने पर हुयी इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा समस्त रेकार्ड का निरक्षण किया गया एवम उसकी रिपोर्ट तैयार की जाकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा दिनांक 15–04–2012 को जिला कलेक्टर एवम सर्तकता समिति द्वारा निर्णय पारित किया जाकर उपरोक्त गलत इन्द्राजियात को दुरूस्त किया जाने बाबत आदेशित किया गया उसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपील तैयार करवायी जाकर नियमानुसार न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है। अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना न्याय संगत है तथा अपील करने मे हुयी देरी एवम गुजरी अवधी को कण्डोन किये जाने बाबत अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत मालकाखेडा द्वारा ग्राम भटखेडी के नामान्तकरण सख्या 10,11,12, दिनांक 07–03–1967 को विधी विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जाने का आदेश दिया जावे एवम उपरोक्त कृषि भूमि की रेकार्ड की पूर्ववत स्थिति बहाल किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर करवायी जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस मय नकल अपील मेमो भेज करवाई गयी।

दिनांक 06.03.2025 को पत्रावली पेश हुयी रेस्पोडेण्टगण को आवाज लगाई गई, रेस्पोडेण्डगण संख्या 6 के फोत होने की सूचना प्राप्त हुई। विपक्षी सं0 6 के वारिसान पूर्व में ही पत्रावली में विपक्षी सं0 6 को विलोपित किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 1 से 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। जवाब में अंकित किया कि अपील की कलम नं0 1 लगायत 10 को स्वीकार किया हैं। अपील की कलम नं0 11 को अस्वीकार किया हैं। अपील की कलम नं0 12, 13 कानूनी नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं हैं। विशेष कथन में अंकित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू किया गया उसके बाद 1964 में धारा 42 (क) बनाकर यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाती व जनजाती की भूमि स्वर्ण व्यक्ति के नाम पर रहन विक्रय दान या अन्य किसी प्रकार के अन्तरण से नहीं हो सकती है उक्त प्रावधान का उल्लघंन कर दिनांक 7–3–1967 को जो ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किए गए है वो प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होकर शून्य प्रभावी है। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त प्रतिवादीयों के पति को सुनवाई का अवसर नही दिया गया एवं न ही भिन्न भिन्न स्टाम्पों की सत्यता की जानकारी नहीं की गई एवं न ही किती प्रकार के गवाह जो तथाकथित स्टाम्पो पर उल्लेखित थे उनके बयान भी दर्ज नहीं कर अलग अलग स्टाम्पो के नामान्तरकरण एक ही तारीख में आपसी मिलीभगती कर खोल दिए गए है जो स्पष्ट रूप से राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम का दुरूपयोग है उक्त भूमि के विधि विल्ट नामान्तरकरण को निरस्त किए जाने बाबत प्रार्थीयाँ द्वारा सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक बाबत अलग से वादपत्र पेश कर रखा है जो अभी न्यायालय में चल रहा है। प्रतिवादीयाँ उक्त भूमि की विधिक अधिकारी होकर उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारणी है । तथाकथित विक्रयपत्र फर्जी व कूटर चित है। अतः नामान्तरकरण संख्या 10, 11, 12 निरस्त किए जाकर प्रतिवादीयाँ मन्नी पत्नी काना भील को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रार्थना का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में रेस्पोडेण्ट क्रमांक 1 से 6 की ओर से अपील पोषणियता आपती के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपील मोजा भटखेडी प०ह० मालकाखेडा स्थित गत बन्दोबस्ती ख0न0 37 से लगायत 42 एवम 45 के संदभ में खोले गये नामान्तकरण क्रमाक 10–11–12 को निरस्त कराने के लिए एक ही अपील पेश की गयी है। तीनो ही नामान्तकरण को पृथक पृथक आदेश से निस्तारित किया गया है इसलिए सभी नामान्तकरण की एक ही अपील पोषनीय नही होने से अपील प्रथम द्रष्टया खारिज योग्य है। यदि प्रत्येक नामान्तकरण अलग अलग आदेश देकर खोले गये है तो प्रत्येक नामान्तकरण की अलग अलग ही अपील होगी दोष पूर्ण तरिक्के व विधि की व्यवस्था की अवहेलना कर एक ही अपील पेश की गयी है तो उस पर कोई सुनवायी नही की जा सकती है इस कानूनी आपती के आधार पर अपील को प्रथम दृष्टया खारिज किया जाना ही एक मात्र न्यायालय के पास विकल्प है। कोई भी न्यायालय प्रक्रिया की अवहेलना कर प्रस्तुत की गयी अपील पर सुनवायी की अधिकारिता नही रखता है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत है आर.आर.डी. 1994 पेज 85 स्पष्ट किया गया है कि – प्रत्येक आदेश के लिए अलग अलग अपील होगी। अपील दर्ज योग्य नहीं होते हुये भी गलत दर्ज की गयी। किसी भी आदेश के विरूद्ध पीड़ित पक्षकार ही अपील प्रस्तुत कर सकता है अपीलाण्ट पीड़ित पक्षकार नही है। अपील के अनुसार नामान्तकरण से प्रभावी व्यक्ति रेस्पोडेण्ट 7 है जिसको अपीलाण्ट ने पूर्व खातेदार की वारिसा मानकर उसे अपील मे पक्षकार बनाया है। अपीलाण्ट राज्य सरकार की ओर से सभी खातेदारी भूमि का लेण्ड होल्डर है लैण्ड होल्डर को यह अधिकार ही नही है कि वह खातेदार के स्थान पर स्वय अपीलाण्ट बनकर अपील पेश करे। लेण्ड होल्डर का काम राजस्व रेकार्ड का पोषण करना है स्वंय को व्यथित पक्षकार बताकर अपील पेश करने का अधिकार नही है। यह अपील केवल व्यथित खातेदार ही पेश कर सकता है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील मे यह कही नही लिखा है कि वह किस प्रकार व्यथित पक्षकार है। बहुत अधिक यदि वह कार्यवाही करवा सकने की अधिकारिता रखता है तो लेण्ड होल्डर की क्षमता में धारा 175 रा०टि०एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय मे वाद पेश कर सकता है जिसमे वह दोनो पक्षकारों द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रदत खातेदारी अधिकारो की शर्तों की अवहेलना किया जाना बता भूमि का बिलोनाम करवा सकता है। किन्तु एक पक्ष को बिना लोकस स्टेण्डी के अपील पेश कर बेजा

लगातार पेज संख्या 05 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लाभ नही पहुचा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी नामान्तकरण के पारित आदेश मे नामान्तकरण के निस्तारण के समक्ष पक्षकार नही है ओर अपील पेश करना चाहता है तो उसे अपील पेश करने की अनुमति हेतु पहिले न्यायालय से धारा 96 दि०प्र०स० के तहत आवेदन पत्र पेश करना पडेगा उस पर सुनवायी होने के पश्चात अनुमति देने वाला न्यायालय प्रोविजनल आदेश इस शर्त के साथ पारित कर सकता है कि रेस्पोडेण्ट यदि अपील कर्ता को अपील लाने के अधिकार को चुन्नोति देता है तो उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा किन्तु अपीलाण्ट ने इस प्रकरण में ऐसा कोई आवेदन नही दिया है इसलिए इस अपील पर कोई सुनवायी यह न्यायालय नहीं कर सकता है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत है आर.आर.डी. 1989 पेज 209 व 438 है। अपील कर्ता अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपने को व्यथित पक्षकार बताया जाना आवश्यक है जबकि इस मामले मे अपीलार्थी व्यथित पक्षकार ही नही है व्यथित पक्षकार किसे कहा जायगा इसके लिए न्यायिक निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत है–

(ए) आर०आर० डी 1981 पेज 63 (लार्जर बेन्च)
(बी) ए.आई. आर 1980 सु० कोर्ट पेज 856
(सी) ए०आई० आर० 1975 सु० कोर्ट पेज 2092
(डी.) आर.आर.डी. 1994 पेज 386
(इ.) ए.आईआर 1980 ए.सी. पेज 961
(एफ.) आर.आर.डी. 1982 पेज 497

राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 42 को 15 अक्टुम्बर 1955 को बने राजस्थान काश्तकार अधिनियम मे जोडा जाकर उसे तत्काल अथवा पूर्ववत प्रभाव से लागू नहीं किया गया 26 अप्रेल 1964 से ही इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया ओर उसे पूर्व प्रभावी नही मानकर पश्चातवर्ती समयाकाल से लागू किया गया अर्थात 26 अप्रेल 1964 के बाद धारा 42 रा०टि०एक्ट के प्रावधानो के विपरित खातेदार भूमि विक्रय करता है या कोई क्रय करता है तो वह अवैध व शून्य होगा। जबकि तीनो ही नामान्तकरण में वर्णित भूमि सवंत 2008 से 2010 की अवधि में बिके है जब कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सवत 2012 में लागू हुआ इसलिए अपील सारहीन विधी विरूद्ध है अवलोकनार्थ हेतु निर्णय प्रस्तुत है–

(ए) आर.आर.डी 1985 पेज 98
(बी) आर.आर. डी 1980 पेज 601
(सी) आर.आर. डी 1964 पेज 342
(डी) आर.आर.डी. 1993 पेज 263

अपीलार्थी की अपील लाना Abuses of prossed of Law है अर्थात तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) कानून को बिना पढे व समझे विधि विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी। किसी भी राजकीय अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह पूर्वाग्रसित हो कानून को अपने पक्ष मे बता किसी खातेदार को अकारण परेशान करने के लिए किसी ऐसे मामले की अपील प्रस्तुत कर दे। जिसे उसे पेश करने का अधिकार ही नही है। अपीलाण्ट ने बिना किसी आधार व ओचित्य के अपील के पेश कर दी। नामान्तकरण जो सही आधार पर खोला गया उसे अकारण ही गलत बता कर अपील पेश करना सरासर न्यायिक कार्यवाही का गलत उपयोग करने की ओर अग्रसर होना है इसलिए यह अपील समायत योग्य उपयुक्त नही होने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। जबकि अपील प्रस्तुत करने की पात्रता रखने वालो को इस अपील में रेस्पोडेण्ट न० 7 को यह कहकर पक्षकार बनाया है कि गया विक्रेता खातेदार की वारिसा रेस्पोडेण्ट न० 7 है इसी रेस्पोडेण्ट न० 7 के पति का प्रस्तुत दावा इसी जायदाद बाबत इसी न्यायालय मे चल रहा है जिसमें रेस्पोडेण्ट न० 7 ने अपने पत्ति काना की पत्नि बताकर कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र पेश किया हुआ है। अपीलार्थी के कब्जे मे रेवन्यू रेकर्ड जमाबन्दी व नामान्तकरण आदि रूप से मे रहते है ओर नामान्तकरण की पूर्तिया करने का काम तहसीलदार का

लगातार पेज संख्या 06 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

सहायक कर्मचारी पटवारी हल्का करता है व राजस्व निरीक्षक उसकी सही खोले जाने बाबत पुष्टी करता है इसलिए तहसीलदार को यह अधिकार नही है कि वह एक पक्ष को बेजा लाभ पहुंचाने के लिए अपील पेश करे जबकि वह मानता है कि धारा 42 रा०टि०एक्ट के प्रावधानो की अवहेलना हुयी है तो विक्रेता या उसके वारिसान को कोई अधिकार नही है कि वे भूमि की खातेदारी को अपने नाम पर बनाये रखे। अपील सारहीन, अवैध रीति व प्रक्रिया बिना किसी अधिकारिता के पेश की गयी हैं। अपील का गुणा व गुण के आधार पर निस्तारण से पूर्व प्रारम्भिक आपतियों के आधार पर अपील खारिज फरमाया जाना न्यायोचित हैं। अतः अपील पर प्रारम्भिक आपतियों के आधार पर खारिज फरमाया जावें।

पैरोकार अपीलार्थी ने अपील मेमो के साथ सूची मय दस्तावेज प्रस्तुत किये। जो निम्नानुसार हैं।

1. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2065 से 68
2. नामान्तकरण संख्या 10, 11, 12 07.03.1967 की प्रति।
3. जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 की प्रति।
4. जमाबन्दी संवत 2028 से 31 की प्रति।
5. मिलान क्षैत्रफल
6. बैठक कार्यवाही का विवरण दिनांक 09.04.2017

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/रेस्पोडेण्टगण ने फोटोप्रति निर्णय सहायक कलेक्टर महोदय की पेश की जो शामिल पत्रावली हैं।

बहस उभय पक्षकार की सुनी गई।

बहस के दौरान अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों का विस्तार में जिक्र किया तथा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मालकाखेडा द्वारा ग्राम भटखेडी के नामान्तकरण सख्या 10,11,12, दिनांक 07–03–1967 को विधी विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण सं. 1 लगायत 6 ने अपील अपीलान्ट को खारीज फरमाया जाना चाहा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट एवं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण सं. 1 लगायत 6 की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन/मनन करने एवं गुणावगुण /मेरिट के आधार पर न्यायालय अपील खारिज/अस्वीकार करना उचित समक्षता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 75 खारिज/अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक **13 /11/2025** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां